

31.10.2025

पत्रावली पेश हुई। बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावाली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। प्रार्थीगण की मांग पर प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की शर्त 8 (2) के तहत स्वीकार कर चक 2 एएमपी खाता संख्या 139/127 प.न. 168/131 मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 3 में से उतरी पूर्वी कॉर्नर में 16.5 गुणा 32.5 बराबर 536.25 वर्गफुट अर्थात् 0.005 है. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो। तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से पालनार्थ लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया